

**नालन्दा समाहरणालय, बिहारदारीफ**  
(जिला आपूर्ति शाखा)

**:- आदेश :-**

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4109/खाद्य, दिनांक 18.08.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उप धारा (1) सह-पठित धारा 14 एवं धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिनियम के अधीन खाद्यान्न/भोजन से संबंधित वितरण के मामलों में व्यथित व्यक्तियों के शिकायतों का प्रभावी निवारण और अधिनियम के अधीन हकदारी को प्रभावी करने के लिए अधिनियम की धारा - 15 के अधीन अपर समाहर्ता, (राजस्व) को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (District Grievance Redressal Officer) DGRO के रूप में पदाभिहित किया गया है।

उक्त विभागीय अधिसूचना एवं अधिनियम के आलोक में श्री सौरभ जोरवाल भा0प्र0से0, अपर समाहर्ता, नालन्दा, मोबाईल नं0 9473191215, E-mail ID - ac.nalanda@gmail.com, को DGRO के रूप में नामित किया जाता है।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,  
नालन्दा।

संचिका संख्या 15-01/16 ज्ञापांक...1283/आ0, दिनांक .....29/11/2017

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के बेवसाईट पर इसे प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- श्री सौरभ जोरवाल, अपर समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4109/खाद्य, दिनांक 18.08.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
नालन्दा।